क्रम-संख्या–100

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–2, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, सोमवार, 6 जुलाई, 2020

आषाढ़ 15, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

———————

संख्या 935 / 79-वि-1–2020-2(क)-15-2020

लखनऊ, 6 जुलाई, 2020

——————

अधिसूचना

विविध

भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय द्वारा निम्नलिखित उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 14 सन् 2020) जिससे राज्य कर अनुभाग–2 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, प्रख्यापित किया गया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :–

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2020

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 14 सन् 2020)

[भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अध्यादेश

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करती हैं :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1)यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2020 कहा जायेगा;

(2) यह दिनांक 31 मार्च, 2020 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2008 में नई धारा 29क का बढ़ाया जाना

2–उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की धारा 29 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :–

विशेष परिस्थितियों में समय बढ़ाने की सरकार की शक्ति

''29क–(1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकार, अधिसूचना द्वारा ऐसी कार्यवाहियों, जो अपरिहार्य घटना के कारण पूर्ण नहीं की जा सकती है अथवा जिनका अनुपालन नहीं किया जा सकता है, के सम्बन्ध में इस अधिनियम अथवा तद्धीन बनायी गयी नियमावली में विनिर्दिष्ट अथवा विहित अथवा अधिसूचित समय सीमा में वृद्धि कर सकती है।

2–इस धारा की शक्ति में ऐसे दिनांक, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से पूर्व का न हो, से ऐसी अधिसूचना में भूतलक्षी प्रभाव प्रदान करने की शक्ति सम्मिलित होगी।

स्पष्टीकरण :– इस धारा के प्रयोजन के लिए पद 'अपरिहार्य घटना' का तात्पर्य युद्ध, महामारी, बाढ़, सूखा, अग्नि, चक्रवात, भूकम्प अथवा प्रकृति के कारण या, इस अधिनियम के उपबन्धों में से किसी उपबन्ध के क्रियान्वयन को अन्यथा रूप में प्रभावित करने वाली किसी अन्य आपदा से है।''

आनंदीबेन पटेल,
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

———

आज्ञा से,
जे0 पी0 सिंह-II,
प्रमुख सचिव।

———

No. 935(2)/79-V-1-2020-2(ka)15/2020
Dated Lucknow, July 6, 2020

IN pursuance of the provisons of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Mulya Samvardhit Kar (Sanshodhan) Adhyadesh, 2020 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 14 of 2020) promulgated by the Governor. The Rajya Kar Anubhag-2 is administratively concerned with the said Ordinance.

THE UTTAR PRADESH VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) ORDINANCE, 2020

(U.P. Ordinance no. 14 of 2020)

[Promulgated by the Governor in the Seventy-first Year of Republic of India]

AN

ORDINANCE

further to amend the Uttar Pradesh Value Added Tax Act, 2008

WHEREAS the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for her to take immediate action:

NOW, THEREFORE, in exercise of powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance.

1. (1) This Ordinance may be called the Uttar Pradesh Value Added Tax (Amendment) Ordinance, 2020; Short title and commencement

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from 31st March, 2020.

2. After section 29 of the Uttar Pradesh Value Added Tax Act, the following section shall be *inserted,* namely:— Insertion of new section 29A in U.P. Act no. 5 of 2008

"29A-(1) Notwithstanding anything contained in this Act the Government may, by notification extend the time limit specified in, or prescribed or notified under, this Act or rules made there under in respect of actions which can not be completed or complied with due to *force majeure.* Power of Government to Extend time in Special circumstances

(2) The power of this section shall include the power to give retrospective effect to such notification from a date not earlier than the date of commencement of this Act.

Explanation-For the purpose of this section the expression force majeure means a case of war, epidemic, flood, drought, fire, cyclone, earthquake or any other calamity caused by nature or otherwise affecting the implementation of any of the provisions of this Act."

ANANDIBEN PATEL
Governor,
Uttar Pradesh.

By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 96 राजपत्र–2020–(196)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 7 सा0 विधायी–2020–(197)–300 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।